न्यायालय उपखण्ड अधिकारी धौलपुर

पीठासीन अधिकारी – ओ0पी0 सहारण आर.ए.एस.
प्रकरण संख्या – 63/17 (156/2004)

गोपाली पुत्र पन्ना जाति कुम्हार निवासी नौगजा पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर ---- दौराने दावा मृत

1/1– सुरेश पुत्र गोपाली
1/2– ओमी उर्फ ओमप्रकाश पुत्र गोपाली
1/3– शकुन्तला बेबा हरीकिशन
1/4– सतीश पुत्र हरीकिशन
1/5– चरनसिंह पुत्र हरीकिशन
1/6– चन्द्रभान पुत्र हरीकिशन
1/7– दयाशंकर पुत्र हरीकिशन
1/8– रामवीर पुत्र बंगाली
1/9– प्रमोद पुत्र बंगाली
1/10– ईश्वरदेई उर्फ चन्द्रकला बेबा महेश
1/11– भारत पुत्र महेश
1/12– हरिकिशन पुत्र महेश
1/13– होतम पुत्र महेश
1/14– हैपाल पुत्र महेश

। समस्त जातिगण कुम्हार निवासीगण नौगजा पुराना शहर धौलपुर

---- वादीगण

बनाम

1. शंकरलाल
2. विशनस्वरूप
3. उमाचरन

। पुत्रगण पन्नालाल जातिगण कुम्हार निवासीगण नौगजा पुराना शहर धौलपुर

4. राजस्थान राज्य तामील जरिये तहसीलदार धौलपुर
5. सुशीला पुत्री पन्नालाल पत्नी मायास्वरूप जाति कुम्हार निवासी गुंसाई की गढी फतेहाबाद जिला आगरा उ0प्र0
6. तेजसिंह पुत्र बाबूलाल जाति कुम्हार निवासी दिगरौता तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0
7. खुट्टा उर्फ पत्त पुत्र बाबूलाल जाति कुम्हार निवासी दिगरौता तहसील खेरागढ जिला आगरा उ0प्र0

---- प्रतिवादीगण

8. गुड्डी पुत्री गोपाली पत्नी राकेश जाति कुम्हार निवासी बोदला चौराहा मयूर गैस फैक्ट्री के सामने आगरा उ0प्र0
9. राजनदेई पुत्री नेमी पत्नी रवि जाति कुम्हार निवासी आलमगंज लोहामंडी आगरा उ0प्र0

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

10. कुसुमा पुत्री बंगाली पत्नी सिकंदर जाति कुम्हार निवासी सुल्तानपुर आगरा उ0प्र0
11. किरनदेई पुत्री बंगाली जाति कुम्हार निवासी मौहल्ला नौगजा पुराना शहर धौलपुर तहसील व जिला धौलपुर
12. कमलेश पुत्री महेश पत्नी कपिल जाति कुम्हार निवास ब्लॉक नम्बर 26 गली नम्बर 22 त्रिलोकपुरी दिल्ली
13. प्रेमवती पुत्री महेश पत्नी शेरू जाति कुम्हार निवासी घटिया इलाहाबाद बैंक के सामने आगरा उ0प्र0

– – – –तरतीवी प्रतिवादीगण

वाद वास्ते इस्तकरार हक दुरूस्ती
इन्द्राज व बटवारा आराजी कास्त

उपस्थितिः– श्री श्रीगोपाल शर्मा एडवोकेट वादीगण की ओर से
श्री विनोद भार्गव एडवोकेट प्रतिवादीगण की ओर से

निर्णय दिनांक – 26.03.18

वादी की ओर से वादपत्र इस आशय का पेश किया कि वादी व प्रतिवादीगण संख्या 1 लगा0 3 व 5 के पिता प्रतिवादीगण 6 व 7 के नाना व 8 के ससुर श्री पन्ना पुत्र उदयराज कुम्हार विवादित आराजी खसरा नम्बर 9 रकवा 2 वीघा 5 विश्वा, 10 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा, 11 रकवा 1 वीघा 17 विश्वा, 12 रकवा 5 विश्वा, 13रकवा 9 विश्वा, 15 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा, 16 रकवा 17 विश्वा, 17 रकवा 3 विश्वा, 18 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा ग्राम वमरौली तहसील धौलपुर के खातेदार काश्तकार थे और उसी हैसियत से काविज होकर काश्त करते चले आ रहे थे। पन्ना से पूर्व पन्ना के पिता उदयराज काविज काश्त रहे थे। पन्ना की दो शादियां हुई थीं। पहली पत्नी सोनदेई के केवल वादी उत्पन्न हुआ था तथा दूसरी पत्नी बतसिया के प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 व 5 उत्पन्न हुये थे। पन्ना का स्वर्गवास हो गया है। पन्ना के स्वर्गवास के उपरान्त वादी तथा प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 ही उक्त आराजी पर वहैसियत कायम मुकाम सम्मिलित रूप से काविज हुए और सम्मिलित काश्त करके पैदावार प्राप्त करते चले आ रहे हैं। वाद दायरी से अर्सा 4–5 दिन पूर्व गत वर्षो की भांति इस वर्ष भी फसल स्यालू के लिये उक्त आराजी काश्त की सफाई आदि करने तथा खाद डालने के लिये वादी गया तो प्रतिवादीगण सं0 1 लगायत 3 ने इजहार किया कि उक्त कथित आराजी काश्त से वादी का अब कोई सम्बन्ध नहीं रहा है क्योंकि स्व0 पन्ना के बजाय प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 के नाम का दाखिल खारिज हो गया है। वादी नहीं मानेगा तो उसे जबरदस्ती बेदखल कर दिया जावेगा। वादी ने राजस्व अभिलेख की प्रतिलिपि पटवारी से

उपखण्डाधिकारी
धौलपर (राज.)

Scanned by CamScanner

प्राप्त की तो वादी को विदित हुआ कि प्रतिवादीगण संख्या 1 लगायत 3 ने पन्ना की मतरूका उक्त आराजी पर अपना नाम तन्हा दर्ज करा लिया है और वादी का नाम दर्ज नहीं होने दिया है। वादी ने प्रतिवादी से चन्द भले आदमियों के सामने कहा कि वादी का नाम भी वादग्रस्त आराजी पर खाना कृषक में दर्ज कराकर भू अभिलेख के इन्द्राजात को शुद्ध करा दे तो प्रतिवादीगण साफ इनकारी हो गये। वादी उक्त विवादित आराजी पर अपने हिस्से को न्यायालय द्वारा अपना 1/4 हिस्सा घोषणां कराकर सम्मिलित रखना उचित नहीं समझता है इसलिये वादी उक्त आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा कराकर तन्हा नाम दर्ज कराने का अधिकारी है। वादी ने दावा डिक्री किया जाकर वादी को विवादित आराजी में 1/4 हिस्से का खातेदार काश्तकार घोषित कर आराजी का बाई मीट्स एण्ड बाउण्ड बटवारा किये जाने का निवेदन किया।

दावा दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण ने उपस्थित होकर जबाव दावा पेश किया जिसके अनुसार विवादित आराजी के पन्ना खातेदार काश्तकार थे लेकिन उनसे पूर्व पन्ना के पिता उमराव इस आराजी को काश्त नहीं करते थे। प्रार्थीगण की माता बतसिया के दो पुत्रियां छाया तथा सुशीला जीवित हैं। वादी गोपाली अपना हिस्सा पन्ना के जीवन काल में ही लेकर अलग हो गया था तथा अलग रह रहा था जैसा कि उसने दीवाना दावा न्यायालय मुन्सिफ साहब धौलपुर में स्वीकार किया है। पन्ना की मृत्यु के बाद आराजी पर प्रार्थीगण ही काबिज हुए। वादी का कोई कब्जा नहीं हुआ ना अब है। पन्ना की विरासत का दाखिला खारिज सही हुआ है वादी का इस आराजी पर कोई कब्जा नहीं रहा। वादी ने वक्त दाखिला खारिज किसी प्रकार का कोई एतराज नहीं किया। वादी का जब आराजी में कोई स्वामित्व ही नहीं है तो उसका नाम कराने का प्रश्न ही पैदा नहीं होता है। वादी अपना हिस्सा पहले ही प्राप्त कर चुका है अतः अब उसका विवादित आराजी पर कोई हिस्सा नहीं है। आराजी खसरा नम्बर 233 ग्राम महावतनगर जो कि पन्ना की खातेदारी में था तन्हा वादी के नाम है जो उसे अपने हिस्से में प्राप्त हुआ था। प्रतिवादीगण के द्वारा दावा खारिज किये जाने का निवेदन किया।

उभयपक्ष के लिखित अभिकथनों के आधार पर प्रकरण में निम्न तनकीयात कायम की गयीं :–

1. आया वादी आराजी खसरा नम्बर 9 रकवा 2 वीघा 5 विश्वा, 10 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा, 11 रकवा 1 वीघा 17 विश्वा, 12 रकवा 5 विश्वा, 13 रकवा 9 विश्वा, 15 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा, 16 रकवा 17 विश्वा, 17 रकवा 3 विश्वा, 18 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा ग्राम वमरौली तहसील धौलपुर में एक चौथाई का हिस्सेदार होकर प्रतिवादीगण के साथ सम्मिलित रूप से काविज होकर काश्त करता चला आ रहा था। और बटवारा कराने का अधिकारी है।

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

2. आया वादी अपने दावा दीवानी कमांक 51 वर्ष 1979 न्यायालय मुन्सिफ धौलपुर में यह स्वीकार कर चुका हैकि वह पन्ना मुतवफी के जीवनकाल में ही अपने पिता से अलग हो गया था और अपने हिस्से का बंटवारा करा लिया था यदि ऐसा है तो इसका दावे पर क्या प्रभाव है।
3. आया वादी ने वक्त दाखिल खारिजी कोई आपत्ति नहीं उठाई यदि है तो क्या वादी अब इससे ऐस्टोप्ड है।
4. आया मुस0 बतसिया तेजसिंह पुट्टा एवं सुशीला मुकदमा हाजा के लिये आवश्यक पक्षकार हैं यदि ऐसा है तो दावे पर इसका क्या प्रभाव है।
5. आया आराजी मुतदारिया पर वादी का वक्त दायरी दावा हाजा कब्जा नहीं था और यदि ऐसा है तो इसका दावे पर क्या प्रभाव है।
6. उभय पक्ष किस सहायता के अधिकारी हैं।

उभयपक्ष के लिखित अभिकथनों एवं प्रस्तुत साक्ष्यों के आधार पर दावा दिनांक 1.7.05 को प्रारम्भिक डिक्री किया गया। दिनांक 26.8.05 को विभाजन प्रस्ताव प्राप्त हुए। प्रकरण में उभयपक्ष के द्वारा दिनांक 15.12.17 को राजीनामा पेश किया गया। राजीनामा के अनुसार मृतक वादी को प्रारम्भिक डिक्री दिनांक 1.7.05 में 1/6 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया गया है। वादी सुरेश व ओमी गोपाली के लडके हैं। वादी शकुन्तला गोपाली के मृत पुत्र हरीकिशन की पत्नी है। वादी रामवीर व प्रमोद गोपाली के पूर्व मृत पुत्र बंगाली के लडके एवं कुसुमा किरनदेई बंगाली की पुत्रियां हैं। ईश्वरदेई उर्फ चन्द्रकला गोपाली के पूर्व मृत पुत्र महेश की पत्नी है। भारत हरीकिशन होतम हेपाल उसके पुत्र हैं कमलेश व प्रेमवती पुत्रियां हैं। राजनदेई गोपाली के पूर्व मृत पुत्र नेमी की पत्नी हैं एवं गुड्डी गोपाली की पुत्री हैं। इस राजीनामे के अनुसार वादीगण को खसरा नम्बर 9 में से रकवा 1 वीघा 12 विस्वा कृषि भूमि प्राप्त हुई है। वादी सुरेश इस भूमि में से 1/7 भाग वादी ओमी, 1/7 भाग वादी शकुन्तला, चरनसिंह, दयाशंकर, सतीश, चन्द्रभान 1/7 भाग, वादी रामवीर प्रमोद, तरतीवी प्रतिवादी कुसुमा, व किरनदेई 1/7 भाग, वादी ईश्वरदेई, भारत, हरीकिशन, होतम, हेपाल, तरतीवी प्रतिवादी कमलेश व प्रेमवती 1/7 भाग, तरतीवी प्रतिवादी राजनदेई 1/7 भाग एवं गुड्डी 1/7 भाग के खातेदार होंगे। रिसीवरी राशि के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। शेष विवादित कृषि भूमि प्रतिवादीगण के हिस्से में रहेगी इससे वादीगण का कोई सम्बन्ध नही रहेगा। खर्चा पक्षकारान अपना अपना वहन करेंगे।

उभयपक्ष को राजीनामा पर सुना गया। उभयपक्ष अभिभाषक के द्वारा राजीनामा सहमति से लिखा जाकर पेश होना व सही होना बताते हुए मुताविक राजीनामा दावा को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया।

उभयपक्ष की बहस पर मनन किया तथा पत्रावली का अवलोकन किया। पत्रावली में संलग्न जमावन्दी के अनुसार कुल विवादित आराजी 9 वीघा 12 विश्वा है जिसमें वादी का

उपखण्डाधिकारी
धौलपुर (राज.)

Scanned by CamScanner

हिस्सा 1/6 के अनुसार रकवा 1 वीघा 12 विश्वा होता है। राजीनामा के अनुसार वादीगण को विवादित आराजी में से खसरा नम्बर 9 का 1 वीघा 12 विश्वा दिया गया है। उभयपक्ष के द्वारा इस राजीनामा पर अपनी सहमति जतायी गयी है एवं मुताविक राजीनामा के दावा को डिक्री किये जाने का निवेदन किया गया है। राजीनामा एवं राजस्व रिकार्ड के अनुसार पक्षकारान का बटवारा मुताविक हिस्सा होना पाया गया। अतः हम मुताविक राजीनामा के दावा को डिक्री किया जाना उचित समझते हैं।

अतः आदेश है कि दावा वादीगण मुताविक राजीनामा के डिक्री किया जाकर विवादित आराजी खसरा नम्बर 9 ग्राम वमरौली में से 1 वीघा 12 विश्वा में वादी सुरेश इस भूमि में से 1/7 भाग वादी ओमी, 1/7 भाग वादी शकुन्तला, चरनसिंह, दयाशंकर, सतीश, चन्द्रभान 1/7 भाग, वादी रामवीर प्रमोद, तरतीवी प्रतिवादी कुसुमा, व किरनदेई 1/7 भाग, वादी ईश्वरदेई, भारत, हरीकिशन, होतम, हेपाल, तरतीवी प्रतिवादी कमलेश व प्रेमवती 1/7 भाग, तरतीवी प्रतिवादी राजनदेई 1/7 भाग एवं गुड्डी 1/7 भाग का खातेदार काश्तकार घोषित किया जाता है। शेष आराजी खसरा नम्बर 9 का शेष रकवा 13 विश्वा, खसरा नम्बर 10 रकवा 1 वीघा 5 विश्वा, 11 रकवा 1 वीघा 17 विश्वा, 12 रकवा 5 विश्वा, 13 रकवा 9 विश्वा, 15 रकवा 1 वीघा 6 विश्वा, 16 रकवा 17 विश्वा, 17 रकवा 3 विश्वा, 18 रकवा 1 वीघा 9 विश्वा ग्राम वमरौली के प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 7 के हिस्से में रहेगी। प्रतिवादी संख्या 1 लगायत 3 रिसीवरी की राशि को प्राप्त करने के अधिकारी होंगे। उक्तानुसार राजस्व रिकार्ड में इन्द्राज किये जाने के आदेश दिये जाते हैं। पर्चा डिक्री जारी हो। पत्रावली फैशल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

निर्णय आज दिनांक 26.03.2018 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(ओ0 पी0 सहारण)
उपखण्ड अधिकारी
धौलपुर

Scanned by CamScanner